




भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फोन / Phone: 27201181(EPABX), 27200430

टेलि-फैक्स/ tele-Fax: 27200430

ई-मेल/ E-mail: gisrs soi@gov.in

भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय
GIS & REMOTE SENSING DIRECTORATE
उप्पल, हैदराबाद -500 039(तेलंगना)
UPPAL, HYDERABAD - 500 039 (Telangana)

नेमी आदेश संख्या सी- 06 /37-जी-9/जी.आई.एस. एंव सु.सं. दिनांक 03 सितम्बर, 2020
ROUTINE ORDER NO.C- /37-G-9/GIS & RS DATED SEPTEMBER, 2020.

I. एम.ए.सी.पी. योजना-लाभ प्रदान करने हेतु / MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME - GRANT OF:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11091/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के निम्नलिखित एम.टी.एस. ग्रुप 'सी' (पूर्व में ग्रुप डी) कार्मिकों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए तारीख से एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D), dated 19-05-2009 received under DST's letter No.A-11019/1/2008-CDN, dated 08-06-2009, the under mentioned MTS of the Group 'C' Estt. (erstwhile Group 'D') of this Directorate are hereby granted **FIRST** Financial Up-gradation under Modified Assured Career Progression Scheme with effect from the date and particulars as mentioned against their name(s):-

Sl. No.	Name & Designation	Present Pay Level in the Pay Matrix	Date of grant of Ist MACP	Pay Level in the Pay Matrix on grant of Ist MACP
1.	Shri Yeddulapuri Raja Sudhakar, MTS (Khalasi)	Level 1	01-04-2020	Level 2
2.	Shri N. Chitti Kumar, MTS (Khalasi)	Level 1	01-04-2020	Level 2
प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या सी-2556/1902-एम.ए.सी.पी.(ग्रुप 'डी') दिनांक 24-08-2020.				

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन पर उपरोक्त कर्मचारियों को वेतन मेट्रिक्स में उनके वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22 (I) क (1) के तहत विकल्प देना होगा।

The above individuals have to exercise an option under Rule FR 22 (I) (a) (1) for fixation of his pay in the pay matrix for grant of financial up-gradation under MACP scheme.

3. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत दिया गया वित्तीय लाभ अन्तिम होगा तथा नियमित पदोन्नति पर उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पदोन्नति के दौरान उन्हे वेतन नियतन सम्बन्धी लाभ नहीं मिलेगा।

The financial benefit allowed under the MACP scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.

4. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता संबंधी मामला / अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लम्बित सजा का मामला ध्यान में आए तो वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं किए जाए।

In case of any Vigilance case / Disciplinary proceedings or pending of punishment against the above official is noticed, the orders of financial up-gradation will not be implemented.

5. उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office / DDO.

II. अपग्रेडेशन / UPGRADATION:

निम्नलिखित मानचित्रकार (ग्रेड-III) कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से पी.बी.2 (रू. 9300-34800) ग्रेड वेतन रू. 4200/- लेवल 6 (35400-112400) के वेतनमान में मानचित्रकार (ग्रेड-II) के पद पर अपग्रेड किया जाता है।

The under mentioned Draftsman (Gde-III) personnel are hereby upgraded to the post of Draftsman (Gde.-II) in level 6 of the pay matrix (pre-revised in PB-02 of Rs. 9300-34800 + GP of Rs.4200) (Pay scale 35400-112400) with effect from the dates as mentioned below against their name(s):-

Sl.No.	Name	Date of Upgradation as D/Man Gde.III	Date of Upgradation as D/Man Gde.II
1.	Shri A.D.Shyam Sunder	01-01-2005	01-01-2013
2.	Smt. K.Rehana	01-01-2006	01-01-2014
3.	Shri Ch. Abraham	01-01-2011	01-01-2019

2. उपरोक्त मानचित्रकार(ग्रेड-III) कर्मचारियों को मानचित्रकार (ग्रेड-II) के पद पर अपग्रेड करने पर वेतन मेट्रिक्स में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22 (1) (ए) (2) के नियम और शर्तें लागू की जानी हैं।

Upon upgradation as D/Man (Grade II), the terms and conditions under F.R.22(I)(a)(2) shall be applied for fixation of pay.

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या स्था.2- 6487/1466-मानचित्रकार (संग्रह-40), दिनांक 01-09-2020).

मद सं0 (I) एवं (II) के लिए अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तिय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

For Items (I) & (II), the extra expenditure involved will be met from and within the sanctioned budget grant of this Directorate for the financial year 2020-2021 and debited to the appropriate head of account.


III. सरकारी सेवा में बने रहने की स्वीकृति / RETENTION IN GOVT. SERVICE:

इस निदेशालय के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) अधिकारियों को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र के कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति के द्वारा सरकारी सेवा में बने रहने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

The special review committee constituted in Specialized Zone has approved the retention of the undermentioned Group 'B' (Non-Gazetted) officers of this Directorate in Government Service who have attained the age of 50 years.

01. Smt. J. Bharati Raj, Draftsman (Div.-I)
02. Smt. Joony Philip, Draftsman (Div.-I)
03. Shri P. Giridhar, Draftsman (Div.-I)
04. Smt. K. Poornima, Draftsman (Div.-I)
05. Smt. G. Vijaya Rekha, Surveyor
06. Shri Ch.L.N. Chowdari, Surveyor
07. Shri K. Srihari Reddy, Stenographer (Grade-II)

(प्राधिकार: अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का पत्र संख्या सी-191/18-ए-5 (संग्रह-03) दिनांक 26-08-2020).


 (सुनिल एस फतेहपुर)
 कर्नल
 उप महासर्वेक्षक, IIS&M एवं
 निदेशक, GIS & RS Dte.
 (अतिरिक्त प्रभार)

वितरण / DISTRIBUTION:

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।
3. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद।
4. अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।
5. निदेशक, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना भू0स्था0ऑ0केन्द्र / दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद।
6. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद।
7. आहरण अनुभाग 2 प्रतियाँ।